रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 178] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 25, 1973/श्रावण 3, 1895

No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 25, 1973/SRAVANA 3, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

ORDER

New Delhi, the 25th July 1973

G.S.R. 364(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 of the Prevention of Food Adulteration Act, 1954 (37 of 1954), and supersession of the Ministry of Health and Family Planning (Department of Health), Order No. F. 14-24/71-PH(B), dated the 13th October, 1971, the Central Government hereby authorises Dr. S. L. Dhir, Deputy Director General of Health Services for the purposes of the said sub-section.

[No. P.15016/3/73-P.H.]

A. B. MALIK, Jt. Secy.

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, दिनांक 25 जुलाई, 1973.

364(अ).—खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 (1954 का 37) की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग) के 13 अक्टूबर, 1971 के आदेश संख्या एफ. 14-24/71-जनस्वास्थ्य (बी) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त उपधारा के प्रयोजनों के लिए स्वास्थ्य सेवा के उप-महानिदेशक डा० एस० एल० धीर को प्राधिकृत करती है ।

[संख्या पी० 15016/3/73-जनस्वास्थ्य]

अमिय भूषण मलिक,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973